न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–949 / 2026

अजय पासवान वगैरह बनाम् बिहार सरकार

वैशाली थाना कांड सं0–172 / 2026

अधीन धारा–115(2), 126(2), 74, 76, 191(3), 190, 351(2), 351(3), 352, 3(5) भारतीय न्याय संहिता।

13.05.2026 वैशाली थाना कांड सं0–172 / 2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा–115(2), 126(2), 74, 76, 191(3), 190, 351(2), 351(3), 352, 3(5) में गिरफ्तारी की आशंका के कारण आवेदकगण **अजय पासवान उम्र–43 वर्ष पेसर–लगनदेव पासवान, विकास कुमार उम्र–22 वर्ष पेसर–अजय पासवान, अमोद पासवान उम्र–40 वर्ष पेसर–लगनदेव पासवान, सत्य नारायण पासवान उम्र–40 वर्ष पेसर–लगनदेव पासवान, प्रमोद पासवान, उम्र–39 वर्ष पेसर–लगनदेव पासवान, अमित पासवान उम्र–45 वर्ष पेसर–स्व0 रामजीवन पासवान, नागेन्द्र पासवान उम्र–70 वर्ष पेसर–स्व0 मुसहर पासवान** सभी साकिन–उफरौल, थाना–पटेढ़ी बेलसर जिला–वैशाली के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता **श्री चंदन कुमार** एवं बिहार सरकार के तरफ से **श्री श्याम बाबु राय** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदकगण के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि दिनांक–04.03.2026 को समय सुबह करीब 08.00 बजे सूचिका अपने परिजनों के साथ होली मना रही थी कि अचानक से दारू / तारी के नशा में अजय पासवान देशी चाकु लेकर सूचिका के घर के अंदर आंगन में घुस कर उसकी पुतोहु के साथ होली खेलने के नाम पर इसके साथ अश्लील हरकत करने लगा चूंकि अजय पासवान उसकी पुतोह का रिस्ते में ससुर लगते है के कारण हम सभी परिजनों के द्वारा उक्त अश्लील हरकत का विरोध किया जिस पर अजय पासवान अपने हाथों में लिए चाकु के बल पर उसकी पुतोह को अपने कब्जे में लेकर इसके साथ अश्लील हरकत करते हुए उसके संवेदनशील अंगों के साथ छेड़–छाड़ करते हुए इसके शरीर के कपड़े भी चाकू से फार दिया तथा सोने का मंगल सुत्र कीमत करीब तीस हजार रूपया भी छीन लिया जिसका विरोध उसके पति के द्वारा किया इसी बीच बहुत सारे लोगों के आ जाने के कारण देख लेने की धमकी देते हुए भाग गया। जिसके बाद सूचक उक्त घटना की जानकारी अपने ग्रामीणों को देते हुए पंचाचत में मामला को रखने कि सूचना अजय पासवान को दिया जिसके पर रूष्ट होकर दिनांक–05.03.26 को सुबह करीब 09 बजे सूचक अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी कि अजय पासवान, विकास कुमार, अमोद पासवान, सत्यनारायण पासवान, प्रमोद पासवान, अमित पासवान एवं नागेन्द्र पासवान हरवे–हथियार, लाठी, डंडा, लोहे के रड एवं चाकू लेकर सूचिका के पुतोहु का नाम लेकर एक राय करके गाली देने लगे। जब सूचिका गाली देने से मना की तो अजय पासवान सूचक के साथ मारपीट करने लगा। जब सूचिका की पुतोहु बचाने गई तो उसके साथ अश्लील हरकत करने लगे। जब सूचिका की पुतोहु अपना इज्जत बचाने हेतु घर के

Web Copy Not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–949/2026

अजय पासवान वगैरह बनाम् बिहार सरकार

लगातार

13.05.2026

अंदर भाग गई तो सभी लोग पीछे–पीछे घर के अंदर घुस गये। जब सूचिका के पति बचाने का प्रयास किया तो उसके साथ भी अजय पासवान ने जानलेवा हत्या का प्रयास चाकू से किया जिससे सूचिका के पति घायल हो गये।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदकगण निर्दोष हैं तथा उसे इस मामले में झुठा फंसाया गया है। संपूर्ण अभियोजन मामला असत्य, बनावटी व मनगढ़न्त है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि यह मामला वैशाली थाना कांड संख्या 162/2026 का पलटा मुकदमा है। निवेदित है, आवेदकगण को अग्रिम जामनत पर मुक्त किया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदकगण के अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए खारिज करने का निवेदन करते हैं।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, कांड दैनिकी एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है जिस पर सूचिका की पुतोहु के साथ होली खेलने के नाम पर उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए चाकू के बल पर अपने कब्जे में लेकर उसके संवेदनशील अंगों के साथ छेड़–छाड़ कर उसके शरीर के कपड़े को चाकू से फाड़ देने, सोने का मंगल सूत्र छीन लेने और उसके बाद पुनः दिनांक–05.03.26 को सभी अभियुक्तगण हरवे–हथियार, लाठी, डंडा, लोहे के रड एवं चाकू लेकर सूचिका के पुतोहु का नाम लेकर एक राय करके गाली–गलौज करने एवं सूचिका के साथ मारपीट करने एवं सूचिका के पति को चाकू से घायल कर देने का आरोप है। कांड दैनिकी की कंडिका 07 से विदित होता है कि जख्मी वादिनी के पति चंदश्वर पासवान को व्यान लेने हेतु खोजा परंतु व्यान देने हेतु उपस्थित नहीं हुये चूंकि बेलसर थाना कांड सं0–162/2026 के अभियुक्त है। अन्य साक्षियों का व्यान लेने हेतु खोजा परंतु कोई भी साक्षी व्यान देने हेतु उपस्थित नहीं हुये। कांड दैनिकी की कंडिका 25 से विदित होता है कि उक्त कांड के प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के बीच शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु दोनों पक्षों के विरूद्व धारा–126 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। जमानत आवेदन की कंडिका 05, 06 एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों से विदित होता है कि यह मामला वैशाली थाना कांड संख्या 162/2026 का पलटा मुकदमा है। कांड दैनिकी की कंडिका 32 एवं जमानत आवेदन की कंडिका 03 से विदित होता है कि आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। घटना का कारण होली विवाद है। घटना दिनांक–04.03.2026 व 05.03.2026 की कही जाती है और टंकित लिखित आवेदन दिनांक–08.03.2026 विलम्ब से दिया गया है और प्राथमिकी दिनांक–09.03.2026 को दर्ज की गई है। अभिलेख से संलग्न चंदेश्वर पासवान के जख्म प्रतिवेदन से विदित होता है कि जख्म की प्रकृति साधारण तथा कड़े व कुंद हथियार से

Web Copy not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–949 / 2026

अजय पासवान वगैरह बनाम् बिहार सरकार

लगातार

13.05.2026 कारित होना बताया गया है।

मामले के उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख पर उपलब्ध सामाग्रियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों को देखते हुए प्रस्तुत मामले में आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः इस आदेश की तिथि से एक माह के भीतर आवेदकगण द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आत्म–समर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की स्थिति में उपरोक्त नामित आवेदकगण को 10,000 / –(दस हजार रूपए) तथा उतनी ही समान राशि के दो प्रतिभूओं सहित धारा–482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की शर्तों के अधीन बंध पत्र दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत मामले में अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web copy not Official